केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/20/00048
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/20/00195

अपीलकर्ता : **श्री आर. एल. लडवाल**
बी-4/298, नन्द नगरी
दिल्ली - 110093.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.03.2020
आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन प्राप्त होने की तिथि	20.03.2020
आर.टी.आई.के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.06.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.06.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	09.06.2020
निर्णय की तारीख	29.06.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.03.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

> "मेरा application CIC Dy. No. 111349 dt. 09.03.2020 में प्वाइंट 1 to 10 & 11 का भी जबाब दिलाया जावे with Certified License copy के साथ में" ।
>
> आर.टी.आई. आवेदन में उल्लिखित अन्य बातें स्पष्ट नहीं है कि आवेदक को केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित किस प्रकार की सूचनाएं चाहिए ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 08.06.2020 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

> "This has reference to your RTI application registered in the Commission vide file No.CICOM/R/P/20/00195dated 20.03.2020. In this connection it is stated that the information required has not been spelt out properly in RTI application. The documents dated 09.03.2020 (diarized in the Commission vide Dairy No. 111349 dated 09.03.2020) are submissions made by you related to your case No. CIC/HCDEL/A/2019/100877, CIC/HCDEL/A/2018/161823 & CIC/CAGIN/A/2018/153347. All the 3 cases were decided on 13.03.2020 and the Commission's intervention was not considered necessary. You are, therefore requested to indicate clear and specific information you want to enable us to supply the same to you".
>
> "Due to nationwide lockdown, some delay has occurred which is regretted".

प्रथम अपील का आधार

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि "My RTI dt 13/03/2020 का आज तक जवाब नहीं दिया गया है, कृपया जवाब दिया जावे" ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
30 JUN 2020
D. No.......
Initials.......

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 13.03.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 19.03.2020 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के अनुसार श्री के. एल. दास, केन्द्रीय सूचना अधिकारी, द्वारा दिनांक 08.06.2020 के पत्र के माध्यम से जवाब प्रेषित कर दिया गया है एवं देशव्यापी लॉक डाउन के कारण सूचना प्रदान करने में हुए विलंब के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा खेद भी व्यक्त किया गया है । हालांकि आर.टी.आई. आवेदन हिंदी में है, परन्तु सूचना अंग्रेजी में प्रेषित की गई है । अतः श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में हिंदी में प्राप्त होने वाले आर.टी.आई. आवेदनों से संबंधित सूचनाएं भी हिंदी भाषा में ही प्रदान की जाएं, हिंदी टंकक उपलब्ध न हों तो हस्तलिखित सूचनाएं भी दी जा सकती हैं । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री के. एल. दास द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है ।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत दवितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग,बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख : 29 जून, 2020

मीनाशर्मा 29/06/20

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

संलग्नक - श्री के. एल. दास द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (RTI Cell), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to CIC (BJ), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

30/06/20

30/6/20